यह निरीक्षण प्रतिवेदन वत्त अ धकारी कुमाऊँ वश्व वद्यालय, (नैनीताल) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी कसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

वत्त अ धकारी कुमाऊँ वश्व वद्यालय, (नैनीताल) के माह 10/2016 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पवन कुमार, एवं श्री अजय त्यागी, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी श्री राज कुमार लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 19/01/2018 से 31/01/2018 तक श्री पुष्कर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री सुधीर कुमार तथा श्री देवेन्द्र कु0 दिवाकर स0ले0प0अ0 एवं श्री दयाशंकर वरि0 लेखा परीक्षक, द्वारा दिनांक 28/10/2016 से 10/11/2016 तक श्री दानिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2014 से 09/2016 तक के लेखा-अ भलेखों की जाँच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2016 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः- वर्तमान में वश्व वद्यालय के दो परिसर है एस0एस0जे0 परिसर अल्मोड़ा तथा डी0एस0बी0 परिसर नैनीताल, वश्व वद्यालय के शैक्षा णक कार्यालय आठ संकाय-कला, द्राशकला, वा णज्य, वज्ञान, व ध, शक्षा तथा अ भयान्त्रिकी एवं तकनीकी अध्ययन से वभाजित है। उक्त संस्थान में बजट निर्माण शासकीय प्राप्तियाँ एवं व्यय सम्बं धत क्रया कलाप कये जाते है। उक्त संस्थान नेशनल हाईवे सं0-109 से 03 क0मी0 एवं राज्य हाईवे सं0-41 से लगा हुआ है, संस्थान से निकटतम रेलने स्टेशन 1.50 क0मी0 की दूरी पर है संस्थान 531373 वर्गमीटर क्षेत्र में फैला है।

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		व्यय (+)	आ धक्य (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आ धक्य	आवंटन		
2014-15	0.00	0.00	2797.16	4322.23	1525.07	700.00	1775.05	1075.05
2015-16	0.00	0.00	2900.00	4661.86	1761.86	700.00	941.22	241.22
2016-17	0.00	0.00	3000.00	4767.26	1767.26	667.88	1165.89	498.01
2017-18 12/2017	0.00	0.00	4000.00	4891.66	4891.66	600.00	1044.08	444.08

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	व वध प्राप्तियाँ	कुल प्राप्ति	व्यय	अ धक्य (+)	बचत(-)
2014-15	रूसा	--	--	--	--	--	--	--
2015-16	रूसा	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
2016-17	रूसा	0.00	377.10	3.87	380.97	250.48	0.00	130.49
2017-18 12/2017	रूसा	130.49	225.40	7.38	363.27	95.34	0.00	267.93

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	व वध प्राप्तियाँ	कुल प्राप्ति	व्यय	आ धक्य (+)	बचत(-)
2014-15	यू0जी0सी	219.63	380.81	0.00	600.44	350.15	0.00	250.25
2015-16	यू0जी0सी	250.25	405.18	0.00	655.43	435.13	0.00	220.30
2016-17	यू0जी0सी	220.30	618.74	0.00	839.03	596.15	0.00	242.88
2017-18 12/2017	यू0जी0सी	242.88	402.14	0.00	645.02	104.5	0.00	540.52

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई "सी" श्रेणी की है।

वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. कुलपति 2. कुलस चव 3. वत्त अ धकारी 4. उप कुल स चव 5. सहायक कलु स चव 6. ल पक वर्ग 7. चतुर्थ श्रेणी वर्ग।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः वर्तमान लेखापरीक्षा तक की अव ध को आच्छादित करते हुए वत्त अ धकारी कुमाऊँ वश्व वद्यालय, (नैनीताल) के लेखा-अ भलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन वत्त अ धकारी कुमाऊँ वश्व वद्यालय, (नैनीताल) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 05/2017 एवं 11/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। प्रतिचयन शून्य के आधार पर कया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर **1**:- रु 499.15 लाख के अवरोधन का प्रकरण पाया जाना।

केन्द्र द्वारा संचा लत व भन्न प्रोजेक्ट एवं परियोजनाओं के अंतर्गत कुमाऊँ वश्व वद्यालय नैनीताल को व भन्न केन्द्रीय संगठनो द्वारा यू.जी.सी. के अंतर्गत धनरा श वर्षवार अवमुक्त की जा रही थी, संबन्धित अ भलेखो वत्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के आय- व्यय, वा र्षक लेखो(cash Flow Statement) की जांच के दौरान पाया गया क कुमाऊँ वश्व वद्यालय नैनीताल मे व भन्न परियोजनाए जो की केंद्र पो षत/ वभाग द्वारा संचा लत की जा रही है, मे वगत वर्षो मे धनरा श रु 499.51 लाख (वर्ष 2016-17) अवशेष के रूप मे पड़ी हुई थी जिसे वश्व वद्यालय द्वारा समय से व्यय नही कया गया और न ही संबन्धित प्रोजेक्ट /schemes/परियोजनाओ क धनरा श को वत्तीय वर्ष के अंत मे सम र्पत कया गया, जिस कारण उक्त धनरा श वश्व वद्यालय मे अप्रयोज्य/ अवरूद पड़ी हुई थी, आगे यह भी पाया गया क उक्त धनरा श मे से रु 132.84 लाख क धनरा श वश्व वद्यालय को ब्याज के रूप मे अर्जित हुई जिसे वश्व वद्यालय मे संचा लत सभी प्रोजेक्ट एवं परियोजनाओ हेतु अलग से एक ब्याज खाते द्वारा प्रथक रूप से संचा लत कया गया।

केन्द्रीय संगठनो द्वारा इकाई को वत्तीय वर्ष 2016-17 मे 1011.46 लाख क धनरा श प्रदान क गयी जिसके सापेक्ष संबन्धित प्रोजेक्ट एवं schemes मे 1002.66 लाख का व्यय कया गया, आगे जांच मे पाया गया क वगत वर्षो से कुछ schemes क्रयाशील नही पायी गयी संबन्धित प्रोजेक्ट एवं schemes के तहत धनरा श रु 1.45 लाख अ क्रयाशील पड़ी हुई थी जिसे संबन्धित वभागो/संगठनो को सम र्पत नही कया गया। तथा आवंटित धनरा श के सापेक्ष मात्र 66.65 लाख का व्यय पूर्व मे प्रोजेक्ट एवं schemes हेतु व्यय कया गया तथा शेष धनरा श 936.01 लाख नए प्रोजेक्ट पर व्यय क गयी थी। जब क इकाई के पास वर्ष 2016-17 के आरम्भ मे 329.10 लाख क धनरा श मौजूद थी, जिसमे उक्त धनरा श का समायोजन न करते हुये चाही गयी रा श रु 682.36 लाख की जगह रु 329.10 लाख भारत सरकार से अतिरिक्त धन प्राप्त कर ली गयी। संबन्धित खाते क जांच मे पाया गया क पत्रांक के यू/भवन-310/2016/620 दिनांक 28.02.17 के अनुसार 5.00 लाख का ऋण वश्व वद्यालय द्वारा अति थ गृह के निर्माण हेतु उ॰ प॰ राजकीय निर्माण निगम को दिया गया, जो प्रयोजन के वरूद पाया गया क्यो क उक्त कार्य हेतु धनरा श रु 7.50 लाख वश्व वद्यालय को यूजीसी के 12th plan हेतु प्रदान क गयी। संबन्धित परियोजनाओ के स्वीकृति आदेश/ निर्देशों क जांच के उपरांत पाया गया क संबन्धित प्रोजेक्ट एवं परियोजनाओ हेतु अवशेष धनरा शयों वत्तीय वर्ष के अंत मे सम र्पत अथवा प्रोजेक्ट एवं

परियोजना क समाप्ती पर वापस कया जाना था एवं अर्जित ब्याज का ववरण भी यू जी सी अथवा संबन्धित केन्द्रीय संगठनों को भेजा जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा तथ्यो एवं अकड़ो क पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे बताया है क कतिपय स्कीम के utilization मे ब्याज सहित अवशेष धनरा श funding एजेंसी को वापस कर दी जाती है, तथा फं डंग एजेंसी द्वारा मांग नही कए जाने के कारण सम र्पत नही क गयी है, एवं इकाई द्वारा संबन्धित धनरा श सम र्पत कए जाने संबन्धित भ वष्य हेतु नोट कया जाता है।

उत्तर मान्य नही है क्यो क दिशानिर्देश के अनुसार इकाई की जिम्मेदार थी क वर्षान्त अप्रयुक्त शासकीय धनरा श संबन्धित वभाग को सम र्पत कया जाए जिसमे इकाई क उदासीनता पायी गयी तथा धन को अनावश्यक अवरूद रखा गया।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 2:- अ ववेकपूर्ण निर्णय के कारण शासकीय धनरा श रु 99.18 लाख के अवरोधन का प्रकरण पाया जाना।

कार्यालय वत्त अ धकारी कुमाऊँ वश्व वद्यालय नैनीताल की बृहद निर्माण कार्य पत्रावली की जांच मे पाया गया क शासनादेश संख्या 847/XXVII(1)/2016, दिनांक 20 सतंबर 2016 के तहत कुमाऊँ वश्व वद्यालय के बायोटेक्नोलाजी परिसर भीमताल मे अनुसंधान प्रयोगशाला भवन निर्माण के लए स्वीकृत धनरा श रु 247.96 लाख के सापेक्ष दिनाक 04 जनवरी 2017 को प्रथम कस्त के रुप मे रु 99.18 लाख कुमाऊँ वश्व वद्यालय को अवमुक्त क गयी। उक्त अनुक्रम मे मार्च 2017 को कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन वकास व निर्माण निगम हल्द्वानी को रु 20.00 लाख वश्व वद्यालय द्वारा हस्तगत की गयी। वश्व वद्यालय के पत्रांक 703 दिनाक 12.01.18 के अ भलेख में तथ्य प्रकाश मे आया क कार्य के मान चत्र की झील वकास प्रा धकरण से अनुमति मलने से पूर्व जिला टाउन प्लानर वभाग द्वारा अनाप त्त पत्र की आवश्यकता थी जो जनवरी 2018 तक प्रती क्षत थी।

इस ओर इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया क मा॰ उच्च न्यायालय द्वारा निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाने के कारण कार्य प्रारम्भ नही हो सका।

उत्तर तर्कसंगत नही पाया गया क्यो क जनवरी 2018 (लेखपरीक्षा) तक निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वभाग से साइटक्लियेरेन्स प्रती क्षत थी तथा बिना समस्त औपचारिकताये पूरी कए शासन से धनरा श प्राप्त कर 01 वर्ष से इकाई स्तर पर धनरा श अप्रयुक्त पड़ा हुआ पाया गया, जिसे अन्य शासकीय कार्यो मे प्रयुक्त कया जा सकता था।

अतः अवरोधन का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर **3:-** यू0जी0सी0 के तहत प्रयोजन हेतु प्रदत्त अ ग्रम की धनरा श **₹** 1630265.00 का समायोजन निर्धारित अव ध के भीतर न पाया जाना ।

वत्तीय हस्तपुस्तिका मे निहित प्रावधान के अनुसार कसी भी वत्तीय वर्ष मे निर्गत अ ग्रम की धनरा श कार्य पूर्ण होने या माह के अंत मे या अ धकतम वत्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवश्य समायोजित होनी चाहिए थी । इकाई द्वारा रखरखाव कये गये अ ग्रम अ भलेखो की जांच मे पाया गया क वत्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की अव ध मे यू0जी0सी0 के तहत परियोजना कार्यो के लए कुमायूं वश्व वधालय के टी चंग स्टाफ द्वारा प्राप्त निम्न अ ग्रमों का सम्प्रेक्षा ति थ (12/17) तक समायोजन प्रस्तुत नहीं कया गया था ।

क्रम संख्या	वर्ष	अ ग्रम लेने वाले प्रोफेसरस का नाम	प्रोयजन	सम्प्रेक्षा ति थ (12/2017) तक असमायोजित धनरा श(र)
01	2016-17	जी0के0शर्मा	प्रोजेक्ट वर्क	29680.00
02	2016-17	बी0 एस0 कोटलीय	प्रोजेक्ट वर्क	40000.00
03	2016-17	आशीष तिवारी	प्रोजेक्ट वर्क	12235.00
04	2016-17	आशीष तिवारी	प्रोजेक्ट वर्क	40000.00
05	2016-17	पी0सी0 तिवारी	प्रोजेक्ट वर्क	50000.00
06	2016-17	पी0सी0 तिवारी	प्रोजेक्ट वर्क	20500.00
07	2016-17	बी0 एस0 कोटलीय	प्रोजेक्ट वर्क	50000.00
08	2016-17	अनूप संह	प्रोजेक्ट वर्क	20000.00
09	2016-17	बी0 एस0 कोटलीय	प्रोजेक्ट वर्क	15000.00
10	2016-17	आशीष तिवारी	प्रोजेक्ट वर्क	20000.00
11	2016-17	बी0 एस0 कोटलीय	प्रोजेक्ट वर्क	100000.00
12	2016-17	महेन्द्र कुमार	प्रोजेक्ट वर्क	152,000.00
13	2016-17	आर0सी0जोशी	प्रोजेक्ट वर्क	80000.00
14	2016-17	आशीष वस्ट	प्रोजेक्ट वर्क	45000.00
15	2016-17	चन्द्र कला रावत	प्रोजेक्ट वर्क	112000.00
16	2016-17	बी0 एस0 वस्ट	प्रोजेक्ट वर्क	180000.00
17	2016-17	महेन्द्र कुमार rana	प्रोजेक्ट वर्क	90000.00
18	2016-17	आर0सी0 जोशी	प्रोजेक्ट वर्क	50000.00
19	2016-17	सी0 सी0 पंत	प्रोजेक्ट वर्क	10000.00
योग				1116415.00

01	2017-18	आशीष तिवारी	प्रोजेक्ट वर्क	10850.00
02	2017-18	आर0सी0जोशी	प्रोजेक्ट वर्क	50000.00
03	2017-18	सी0एम0 अगरवाल	प्रोजेक्ट वर्क	135000.00
04	2017-18	बी0 एस0 कोटलीय	प्रोजेक्ट वर्क	158000.00
05	2017-18	कल्पना अग्रहरी	से मनार वर्क	90000.00
06	2017-18	बी0 एस0 कोटलीय	प्रोजेक्ट वर्क	20000.00
07	2017-18	बी0 एस0 कोटलीय	प्रोजेक्ट वर्क	50000.00
योग				513850.00

उक्त प्रकरण के संबंध मे पूछने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया क उक्त प्रकरण को कुलपति महोद्य के संज्ञान मे लाकर उ चत कार्यवाही की जाएगी । इकाई का उत्तर लेखा परीक्षा मे मान्य नहीं हैं क्यों क वत्तीय नियमावली के तहत अ ग्रमों का' समायोजन कसी भी वत्तीय वर्ष में निर्गत अ ग्रम की धनरा श के कार्य पूर्ण होने या माह के अंत मे या अ धकतम वत्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवश्य समायोजित होनी चाहिए थी। प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

प्रस्तर 4:- वभागीय उदा सनता के कारण ट्रस्ट फ़ंड हेतु नियमावली नही बनाए जाने के कारण रु 15.59 लाख का अ क्रयाशील पाया जाना एवं रु 9.71 लाख अर्जित ब्याज से पुरस्कार /अवार्ड वतरण नही कया जाना।

कार्यालय के लेखापरीक्षा अव ध 10/2016 से 12/2017 तक के बजट संबन्धित अ भलेखो तथा वत्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के वा र्षक लेखो (cash Flow Statement) की जांच के दौरान पाया गया क कुमाऊँ वश्व वद्यालय नैनीताल द्वारा वगत वर्षों में व भन्न प्रकार के ट्रस्ट फ़ंड की स्थापना की गयी थी जिसका संचालन वश्व वद्यालय स्तर से वगत वर्षो से कया जा रहा था। लेखापरीक्षा मे पाया गया क वत्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16,एवं 2016-17 मे महा वद्यालय द्वारा क्रमश: 25, 26, एवं 27 ट्रस्ट फंड का संचालन कया गया है सभी फ़ंड हेतु अलग से बैंक खातो का संचालन वश्व वद्यालय स्तर से कया गया, तथा ट्रस्ट फ़ंड क मूल धनरा श को एफ़डीआर कराकर प्रतिवर्ष/वर्ष दर वर्ष ब्याज अर्जित क जा रही थी।

ट्रस्ट फ़ंड संबन्धित अ भलेखो क जांच मे पाया गया क वश्व वद्यालय द्वारा ट्रस्ट फ़ंड क स्थापना का उदेश्य प्रतिभाशाली छात्रों को उपा ध /मेडल अथवा नकद पुरस्कार प्रदान कया जाना था। नमूना-स्वरूप श्रीमति भगवती देवी ट्रस्ट फ़ंड की जांच मे पाया गया क उक्त फ़ंड की स्थापना निम्न शर्तो पर क गयी:-

1. धनरा श का खाता वश्व वद्यालय कसी भी बैंक मे अव ध जमा योजना के अंतर्गत खोलेगा।
2. धनरा श से अर्जित ब्याज से पदक बनाया जाएगा तथा पदक दिये जाने क सूचना समाचार पत्रो के माध्यम से जनता को दी जाएगी।
3. धनरा श का लेखा, वत्त अ धकारी, कुमायु वश्व वद्यालय नैनीताल अन्य पदको के अनुस्थ रखेंगे।

इसी प्रकार बेस्ट टीचर एवं वद्यार्थी पुरस्कार हेतु स्था पत सी. एन. आर.राव फ़ाउंडेशन अवार्ड संबन्धित ट्रस्ट फ़ंड की मूल धनरा श रु 5.15 लाख जो की वत्तीय वर्ष 2016-17 मे स्था पत इस शर्त पर की गयी क “Interest from this can be used for the awards.’

लेखापरीक्षा जांच मे यह पाया गया क सभी ट्रस्ट फ़ंड क स्थापना उक्त व र्णत शर्तो पर क गयी थी एवं ट्रस्ट फ़ंड मे दानदाता द्वारा उनके अर्जित ब्याज से मेडल/पुरस्कार रा श दिये जाने की शर्त रखी जाती थी तथा वश्व वद्यालय द्वारा वर्तमान तक ट्रस्ट फ़ंड से व्यय कए जाने हेतु कोई नियमावली नही बनायी गयी। आगे जांच मे पाया गया क वगत 3 वर्षो मे वश्व वद्यालय द्वारा मात्र 10,000/- के ही मेडल/व्यय वतरण कए गए। अतः उक्त शर्तो से यह स्पष्ट है की ट्रस्ट फ़ंड की मूल धनरा श दिनांक 31.03.2017 तक रु 15.59 लाख वश्व वद्यालय स्तर पर अप्रयुक्त पाया गया और न ही वश्व वद्यालय द्वारा वगत वर्षो मे ट्रस्ट फ़ंड से अर्जित ब्याज रु 9.71 लाख से पुरस्कार/अवार्ड ववरण कए गए और न ही उक्त फ़ंड से व्यय कए जाने हेतु निर्धारित शर्तो के अनुसार कोई नियमावली/ निर्देशों का गठन कया गया, जिस कारण उक्त धनरा श अ क्रयाशील पड़ी हुई है।

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग ने तथ्यो एवं आकड़ों क पुष्टि करते हुये उत्तर दिया क भ वष्य मे नियमावली बनवाने क कार्यवाही क जायगी तथा संबन्धित मूल धनरा श जो क अ क्रयाशील पड़ी हुई है के संबंध मे इकाई ने टिपणी क कोई कार्यवाही नही क गयी।

उत्तर मान्य नही है क्यों क वश्व वद्यालय के उत्तर से यह स्पष्ट है क वर्तमान मे संबन्धित धनरा श नियमावली/व्यय नही बनाए जाने के कारण धनरा श अ क्रयशील है एवं उक्त धनरा श दानदाता को वा पस नही जानी थी।

अतः संबन्धित धनरा श पर रु 25.30 लाख ब्याज सहित अ क्रयाशील पाये जाने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है

<u>भाग-दो (ब)</u>

प्रस्तर 5:- रु 95.34 लाख की कंप्यूटर उपकरण की आपूर्ति तथा रु 1.38 करोड़ की अ धप्राप्ति रूसा गाइडलाइन्स के वपरीत पाया जाना।

अ धप्राप्ति के संबंध मे रूसा द्वारा जारी दिशा निर्देश :-

- Each institution will have to form a project monitoring unit. The Unit, headed by the head of the institution will be responsible for the monitoring of the project at the institutional level. The project monitoring unit will perform the procurement of goods, works and services.
- States would be required to procure all consumables, equipment, furniture, fixtures etc. in accordance with the state procurement policy and relevant rule for government procurement applicable to the state. In all such cases competitive bidding and e-procurement method should be adopted.

उपरोक्त के परिपेक्ष्य मे प्रकरण संख्या-1 के अंतर्गत शासनादेश संख्या 805(1)/XXIV(7)/2017-52(2)/15, दिनांक 17.03.17 द्वारा रूसा के अंतर्गत new facility के लए स्वीकृत धनरा श रु 3.98 करोड़ के सापेक्ष अवमुक्त धनरा श रु 2.25 करोड़ के वरुद्ध लेखापरीक्षा मे रु 95.34 लाख का कंप्यूटर तथा संब धत उपकरण रूसा निदेशालय द्वारा क्रय कर इकाई को हस्तगत कया जाना पाया गया जब क रूसा गाइड लाइन्स के तहत institution को गठित प्रोजेक्ट मोनिट्रिंग यूनिट (PMU) के माध्यम से क्रय प्र क्रया उत्तराखण्ड अ धप्राप्ति नियमावली के अनुसार कया जाना था जिसकी निगरानी की दायित्व Head of the institution पर था।

प्रकरण संख्या- 02 के अंतर्गत कुमाऊँ वश्व वद्यालय को वत्तीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 मे एकेड मक स्टाफ कालेज नैनीताल के लए रूसा के अंतर्गत स्वीकृत धनरा श रु 249.16 लाख के सापेक्ष वश्व वद्यालय को दो कस्तों मे धनरा श रु 138.65 लाख अवमुक्त कया जाना पाया गया, जिसमे लेखापरीक्षा ति थ तक सम ग्रयों के भुगतान पर रु 1.38 करोड़ व्यय कया गया। परंतु रूसा गाइड लाइन्स के अनुसार राज्य मे प्रभावी अ धप्राप्ति नियमावली के अनुसार गठित क्रय स मति मे वत्त के जानकार सदस्य को अनिवार्य रूप से शा मल करने का अनदेखी कया जाना , आपूर्तिकर्ता के चन्हिकरण हेतु वश्व वद्यालय द्वारा जो वज्ञप्ति जारी की गयी, उसका व्यापक प्रसार समाचार पत्र के माध्यम से प्रतिस्पधा दर प्राप्त करने के लए न कया जाना तथा क्रय स मति द्वारा इस आशय की गुणवत्ता तथा व शष्टता सुनिश्चित वषयक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही पाया गया।

इस ओर इं गत कए जाने पर प्रकरण-01 के उत्तर मे इकाई मौन रही तथा प्रकरण-02 के संबंध मे भ वष्य मे अनुपालन सुनिश्चित करने की बात कही गयी।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नही पाया गया रूसा धनरा श का उपभोग गठित पीएमयू के माध्यम से तथा जिसकी निगरानी की दायित्व Head of the institution पर था पूरा नही कया गया। प्रकरण संख्या 02 मे क्रय प्र क्रया मे वत्त के सदस्य को शा मल न कर पारद र्शता नही अपनाया गया तथा आपूर्तिकर्ता के चन्हिकरण मे प्रतिस्पर्द्धा दर प्राप्त करने के लए वज्ञप्ति का व्यापक प्रसार नही कया गया जो अ धप्राप्ति नियमावली 2008 (नियम-9) का उलंघन था।

अतः रूसा गाइड लाइन्स के उल्लंघन का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्त 6:- वश्व वद्यालय द्वारा धनरा श रु 50.74 लाख के अनुरक्षण/लघु निर्माण कार्यो के त्रुटिपूर्ण आगणन तैयार करना एवं ठेकेदारो को धनरा श रु 50**,742/-** का अ धक भुगतान कया जाना।

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 740/VII/14-680(श्रम)/2002/टी सी-II, दिनांक 13 अगस्त 2014 के अनुसार निर्माण कार्यो की लागत का 1 प्रतिशत श्र मक उपकर (labour cess) लए जाने का प्रावधान है तथा इसके अंतर्गत सरकारी/ गैर सरकारी सभी प्रकार के ऐसे निर्माण कार्य सम्मि लत कए गए है, जिनमे 10 या 10 से अ धक निर्माण श्र मक वगत एक वर्ष मे कसी भी दिन नियोजित रहे है। सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो से संबन्धित निर्माण कार्य की दशा मे उपकर का भुगतान ऐसे कार्यो के बिलो से कटौती करके कए जाने का प्रावधान है एवं इस संबंध मे निर्माण कार्य की लागत का 1 प्रतिशत उपकर का भी प्रावधान निर्माण कार्यो के बजट मे कए जाने का है। उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार कोई वभाग रु 10.00 लाख तक के मरम्मत कार्य प्रतिशत पर आधारित दर सं वदा के आधार पर कर सकते है एवं रु 10.00 लाख से अ धक के मूल/ मरम्मत कार्य को लोक निर्माण संगठन द्वारा ही कराया जाएगा एवं रु 5.00 लाख तक के मरम्मत कार्यो की संस्वीकृति प्रारम्भिक परियोजना ववरण के आधार पर दी जा सकती है।

वभाग द्वारा वत्तीय वर्ष 2016-17 हेतु वभाग द्वारा रु 50.00 लाख का प्रावधान वा षक अनुरक्षण मद के अंतर्गत लघु निर्माण, मरम्मत, वद्धुत, सीवर लाइन आदि कार्यो हेतु कया गया जिसके सापेक्ष जिसके सापेक्ष प्रशा॰ भवन नैनीताल, DSB परिसर नैनीताल एवं SSJ परिसर अल्मोड़ा द्वारा क्रमश 40.19 लाख, 6.00 लाख एवं 4.54 लाख व्यय कया गया अर्थात कुल 50.74 लाख लघु निर्माण कार्यो हेतु व्यय कए गए। लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया क वश्व वद्यालय द्वारा वा षक अनुरक्षण हेतु स्वीकृत 50.00 लाख के सापेक्ष रु 50.74 लाख का व्यय कया गया। वश्व वद्यालय द्वारा वर्ष मे व भन्न प्रकार के लघु निर्माण कार्य प्रशा॰ भवन नैनीताल, DSB परिसर नैनीताल एवं SSJ परिसर, अल्मोड़ा मे वर्क ऑर्डर अथवा नि वदा / कोटेशन के आधार पर प्रतिशत पर आधारित दर सं वदा (rate- contract) के माध्यम से टुकड़ो मे कया गया। संबन्धित वाउचरो क जांच के उपरान्त पाया गया क व भन्न ठेकेदारो को भुगतान करते समय उनके देयकों से निर्माण कार्य क कुल लागत का 1 प्रतिशत उपकर नही काटा गया एवं इकाई ने अपने उत्तर मे बताया है क उक्त लघु निर्माण कार्य डी. एस. आर. दरो पर करवाए गए थे तथा लघु कार्यो हेतु लेबर सेस का प्रावधान आगणन बनाते वक्त नही कया गया। उपरोक्त शासनादेश के अनुसार सभी प्रकार के निर्माण/मरम्मत कार्यो से %1उपकर (labour cess) क कटौती संबन्धित वभाग के माध्यम

से सुनिश्चित क जाएगी एवं वभाग द्वारा रु 10.00 लाख तक के मरम्मत कार्य प्रतिशत पर आधारित दर सं वदा के आधार पर कराये जा सकते थे। जब क वभाग/ वश्व वद्यालय द्वारा 1 प्रतिशत उपकर कटौती नही कए जाने के कारण धनरा श रु 50,742/- का अ धक भुगतान ठेकेदारो को कया गया फलस्वरूप रु 50,742/- की शासकीय हानि हुई। एवं शासनादेश का उल्लंघन करते हुये वभाग/ वश्व वद्यालय द्वारा वत्तीय वर्ष 2016-17 मे 50.74 लाख का अनुरक्षण /repair/ लघु निर्माण कार्य कया गया।

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग ने तथ्यों एवं आकड़ों क पुष्टि करते हुये उत्तर दिया क लघु कार्यो हेतु लेबर सेस का प्रावधान आगणन मे न होने के कारण कटौती नही क गयी एवं भ वष्य के लए नोट कया।

उत्तर मान्य नही है क्यो क वभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण आगणन कए जाने के कारण वर्ष 2016-17 मे रु 50,742/- का अतिरिक्त भुगतान ठेकेदारो को कया गया है जिसकी वसूली ठेकेदारो से क जानी लम्बित है एवं उत्तराखण्ड अ धप्राप्ति नियमो का उल्लंघन करते हुये धनरा श रु 50.74 लाख के अनुरक्षण कार्य कए गए जो क अनुमान्य नही थे।

अतः प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है ।

<u>भाग-दो ब</u>

प्रस्तर 7:- छात्रनि ध की व भन्न मदों मे र **27059211.52** की धनरा श का अप्रयुक्त रहना एवं शासनादेश के वरुद्ध ₹ 787494.00 की धनरा श का अनिय मत आहरण कर धनरा श का समायोजन न करना ।

शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10.07.1986 के अंतर्गत महा वद्यालयो मे छात्रनि धयों के रख रखाव एवं उपयोग संबं धत नियम/ मार्ग दर्शन बनाए गए है एवं इस प्रयोजन हेतु महा वद्यालयो मे छात्रनि धयाँ संचा लत कए जाने का प्रावधान कया गया था जिस पर प्राचार्य का पूर्ण नियंत्रण निर्धारित था। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या 03 के अनुसार छात्र कोष से वकास कोष अथवा अनुरक्षण कोष हेतु कोई ऋण नही लया जाएगा और यह रा श उसी मद पर व्यय की जाएगी जिसके लए वसूल की गयी है एवं बिन्दु संख्या 06 के अनुसार यदि कन्ही कारणो से कसी छात्र कोष मे बचत हो जाती है और यह बचत तीन वर्ष तक बची रहती है तो उस कोष की स मति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कालेज की प्रबंध स मति के अनुमोदनोपरांत शक्षा निदेशक, उच्च शक्षा अथवा उनके द्वारा प्रा धकृत कसी अ धकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है ।

छात्र कल्याण नि ध नियमावली 2003 मे यह स्पष्ट उल्लेख है क The collection from students in the Niche and interest earned thereon shall be utilized to provide assistance under rule-6 *(objective of nidhi- provide financial assistance to student)* and also to meet establishment and other expenses necessary for administration of Nidhi."

कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नात्कोत्तर महिला महा वधालय, हल्द्वानी (नैनीताल) के छात्रनि धयों से संबन्धित अ भलेखो की जांच के उपरान्त पाया गया क महा वद्यालय द्वारा व भन्न प्रकार की छात्रनि धयों का संचालन कया गया तथा सभी छात्रनि धयों हेतु पृथक से बैंक खाते खोले गए है। महा वद्यालय द्वारा सभी प्रकार क छात्रनि धयों हेतु कुल 28 बैंक खाते खोले गए है, संबन्धित खातो क जांच के उपरान्त पाया गया क महा वद्यालय द्वारा संचा लत बैंक खातों में साल दर साल ब्याज क धनरा श भी अर्जित हो रही है । (ववरण-सलग्नक-क) ,

छात्रनि ध की व भन्न मदों मे छात्रनि ध लेजर के अनुसार धनरा श

क्र-सं	शुल्क का प्रकार	परिसर(CAMP) का नाम	दिनाक	अवशेष धनरा श(₹)मे
1	छात्रावास खाता	सोबन संह जीना अल्मोड़ा (कुमाऊँ वश्व वद्यालय)	31/03/2017	2496713.25
2	कॉलेज सोसाइटी	सोबन संह जीना अल्मोड़ा (कुमाऊँ वश्व वद्यालय)	31/03/2017	482311.00
3	छात्र सहायता कोश	सोबन संह जीना अल्मोड़ा (कुमाऊँ वश्व वद्यालय)	31/03/2017	730311.00
4	मेगज़ीन एवं आइ कार्ड	सोबन संह जीना अल्मोड़ा	31/03/2017	2144955.00

	खाता	(कुमाऊँ वश्व वद्यालय)		
5	पुस्तकाल्य क्षतिपूर्ति खाता	सोबन संह जीना अल्मोड़ा (कुमाऊँ वश्व वद्यालय)	31/03/2017	963975.00
6	बूक बैंक खाता	सोबन संह जीना अल्मोड़ा (कुमाऊँ वश्व वद्यालय)	31/03/2017	74960.00
7	प्रधानाचार्य छात्रवरती खाता	सोबन संह जीना अल्मोड़ा (कुमाऊँ वश्व वद्यालय)	31/03/2017	110000.00
8	पुस्तकाल्य फक्स खाता	सोबन संह जीना अल्मोड़ा (कुमाऊँ वश्व वद्यालय)	31/03/2017	3909407.00
9	कीड्रा(गेम्स) खाता	सोबन संह जीना अल्मोड़ा (कुमाऊँ वश्व वद्यालय)	31/03/2017	528075.00
10	वाचनालय खाता	सोबन संह जीना अल्मोड़ा (कुमाऊँ वश्व वद्यालय)	31/03/2017	1102680.00
11	छात्रसंघ खाता	सोबन संह जीना अल्मोड़ा (कुमाऊँ वश्व वद्यालय)	31/03/2017	33498.00
	योग			**12576885.25**
13	पत्रिका खाता(Magzine)	डीएसबी परिसर नैनीताल (कुमाऊँ वश्व वद्यालय)	31/03/2017	1841241.00
14	कीड्रा(गेम्स) खाता	डीएसबी परिसर नैनीताल (कुमाऊँ वश्व वद्यालय)	31/03/2017	1071039.34
15	परिचय पत्र खाता	डीएसबी परिसर नैनीताल (कुमाऊँ वश्व वद्यालय)	31/03/2017	479225.00
16	प्रवेश शुल्क खाता	डीएसबी परिसर नैनीताल (कुमाऊँ वश्व वद्यालय)	31/03/2017	88275.36
17	परिसर दिवस खाता	डीएसबी परिसर नैनीताल (कुमाऊँ वश्व वद्यालय)	31/03/2017	329775.45
18	परिसर छात्र संघ खाता	डीएसबी परिसर नैनीताल (कुमाऊँ वश्व वद्यालय)	31/03/2017	57115.22
19	परिसर वाचनालय नि ध खाता	डीएसबी परिसर नैनीताल ((कुमाऊँ वश्व वद्यालय)	31/03/2017	3252190.35
20	सांस्कृतिक ड्रामा खाता	डीएसबी परिसर नैनीताल ((कुमाऊँ वश्व वद्यालय)	31/03/2017	344078.00
21	छात्र कल्याण नि ध खाता	डीएसबी परिसर नैनीताल (कुमाऊँ वश्व वद्यालय)	31/03/2017	495380.00
22	प्राइज़ एंड अवार्ड खाता	डीएसबी परिसर नैनीताल (कुमाऊँ वश्व वद्यालय)	31/03/2017	951343.90
23	Untied फ़ंड खाता	डीएसबी परिसर नैनीताल (कुमाऊँ	31/03/2017	95502.70

		वश्व वद्यालय)		
24	छात्रावास च कत्सा नि ध खाता	डीएसबी परिसर नैनीताल (कुमाऊँ वश्व वद्यालय)	31/03/2017	2294645.90
25	प्रयावरन पाठ्यक्रयम	डीएसबी परिसर नैनीताल (कुमाऊँ वश्व वद्यालय)	31/03/2017	464465.00
26	प्रोयो गक परीक्षा खाता	डीएसबी परिसर नैनीताल (कुमाऊँ वश्व वद्यालय)	31/03/2017	2357295.00
27	परिसर वभागीय स मति खाता	डीएसबी परिसर नैनीताल (कुमाऊँ वश्व वद्यालय)	31/03/2017	360754.05
	योग-			**14482326.27**

आगे जांच मे पाया गया क छात्रनि ध मदों के सोबन संह जीना अल्मोड़ा (कुमाऊँ वश्व वद्यालय) एवं डीएसबी परिसर नैनीताल (कुमाऊँ वश्व वद्यालय) परिसरो के' भन्न-भन्न बैंक खातो मे छात्रो की क्रमश ₹ 12576885.25 एवं ₹ 14482326.27 की धनरा श लेखापरीक्षा ति थ (12/2017) तक अप्रयुक्त पड़ी थी ।

इस प्रकार दोनों महा वद्यालय द्वारा छात्र कल्याणकारी कार्यो मे ₹ 12576885.25 एवं ₹ 14482326.27 की धनरा श का व्यय नही कया गया है और न ही उक्त धनरा श को शासन को सम र्पत कए जाने हेतु कोई प्रयास कया गया है। आगे जांच मे पाया गया क भन्न-भन्न प्रयोजन हेतु समय-समय पर बिना स मति को प्रस्ताव पारित कए /प्रबन्ध स मति के अनुमोदन के बिना छात्रनि ध से आहरण निम्न ववरण के अनुसार कया, जिसमे धनरा श के आहरण का प्रयोजन व समायोजन इकाई द्वारा लेखापरीक्षा ति थ 12/2017) तक सम्प्रेक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था

क्रमसंख्या	आहरित धनरा श (र)	धनरा श व्यय करने का प्रयोजन/मद	कैम्पस का नाम	छात्र नि ध खाते मे समायोजन
01	59777.00	छात्र यूनियन फ़ंड से यात्रा भत्ता का भुगतान	सोबन संह जीना परिसर अल्मोड़ा (कुमाऊँ वश्व वद्यालय)	-
02	727717.00	छात्रावास च कत्सा नि ध खाता से छात्रावास मे नियुक्त कर्मचारियो का' भुगतान	डीएसबी परिसर नैनीताल (कुमाऊँ वश्व वद्यालय)	-
योग	**787494.00**			

उक्त ता लका से स्पस्ट हे क छात्र नि ध खाते से शासनादेश के वपरीत ₹ 787494.00 की धनरा श आहरित की गयी, जो लेखापरीक्षा ति थ (12/2017) तक असमायोजित थी। यह भी देखा गया क वगत वर्षो मे समय-समय पर आहरित धनरा श का समायोजन 02 वर्षो से भी अ धक समय के लए ब्याज रहित असमायोजित थी , जो वत्तीय अनिय मतता को दर्शाता है।

उक्त के सम्बंध मे वभाग द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टी की एवं सम्प्रेक्षा को अवगत कराया क छात्रो की आवस्यकतानुसार ही छात्रनि ध की धनरा श व्यय की जा रही थी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं हैं, क्यों क उक्त ववरण से स्पस्ट हें क महा वद्यालय की उदा सनता एवं श थलता के कारण छात्रनि ध ₹ 27059211.52 का उपयोग वद्यार्थीयों के वकास कार्यो मे व्यय नहीं कया जा सका ।

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हें ।

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर 8:- कॉशनमनी/ प्रतिभूति धनरा श का रखरखाव नियमानुसार नही कया जाना एवं शासनादेश का उल्लंघन करते हुये रु **11,20,860/-** का अनिय मत व्यय/आहरण एवं मात्र रु 5.22 लाख छात्रों को वा पस कया जाना तथा धनरा श रु 288.39/- लाख (रु 28.89 लाख अर्जित ब्याज सहित) का अ क्रयशील पाया जाना।

उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10 जुलाई 1986 के अनुसार मह वद्यालयों के छात्रों से ली जाने वाली छात्रनि धयो कॉशनमनी/ प्रतिभूति शुल्क के रखरखाव एवं उपयोग संबन्धित नियम/ मार्ग दर्शन बनाए गए है जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नवत है:-

1. यदि कोई छात्र महा वद्यालय छोड़ने के 03 वर्ष पश्चात तक अपनी काशन मनी वापस लेने का आवेदन पत्र नही देता है तो यह रा श लैप्स कर दी जाएगी।

2. छात्र कोष से वकास कोष अथवा अनुरक्षण कोष हेतु कोई ऋण नही लया जाएगा और यह रा श उसी मद पर व्यय की जाएगी जिसके लए वसूल की गयी है।

3. यदि कन्ही कारणो से कसी छात्र कोष मे बचत हो जाती है और यह बचत तीन वर्ष तक बची रहती है तो उस कोष की स मति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कालेज की प्रबंध स मति के अनुमोदनोपरांत शक्षा निदेशक, उच्च शक्षा अथवा उनके द्वारा प्रा धकृत कसी अ धकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है ।

4. शक्षा निदेशक, उच्च शक्षा की अनुमति से छात्रकोषो की बचत से छात्र कल्याण नि ध बनाने हेतु बचत प्रमाण पत्र क्रय कए जा सकेंगे, उन बचत प्रमाण पत्रो की ब्याज की आय को मेघावी छात्रों को पुरस्कार एवं छात्रवृति देने, आ र्थक दृष्टि से पछड़े हुये छात्रों को सहायता करने तथा अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय कया जा सकेगा।

वत्त अ धकारी, कुमाऊँ वश्व वद्यालय, नैनीताल के क्षेत्रा धकार मे आने वाले सोबन संह जीना परिसर अल्मोड़ा, ड एस बी परिसर नैनीताल एवं कुमाऊँ वश्व वद्यालय परिसर भीमताल के काशनमनी संबन्धित अ भलेखो की जांच मे पाया गया क उक्त परिसरो द्वारा उक्त शासनादेश के तहत छात्रों के वकास एवं व भन्न कोर्स हेतु प्रतिभूति धनरा श अर्थात कॉशनमनी वगत वर्षो से ली जा रही थी, जिसे कोर्स समाप्ती पर वापस कया जाना था। कुमाऊँ वश्व वद्यालय, नैनीताल के आय व्ययक वत्तीय वर्ष 2016-17 के अनुसार उक्त वभागो/ परिसर मे क्रमश: 1,06,44,574/-, 1,63,81,188/- एवं 18,13,691/- की धनरा श वगत कई वर्षो मे छात्रों द्वारा वापस नही ली गयी है जिस कारण उक्त धनरा श कई वर्षो से खातो मे अवरूद्ध पड़ी हुई है। ववरण संलग्न (31.03.2017 तक) उक्त धनरा श का उपयोग संबन्धित परिसरो द्वारा दिशानिर्देशन के तहत छात्रों के सर्वांगीण वकास हेतु अर्थात छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय नही कया गया। आगे संप्रेक्षा मे पाया गया क उक्त परिसरो द्वारा पृथक- पृथक तरीके से शासनादेश के वपरीत कॉशनमनी के रखरखाव हेतु एक से अ धक खातो को संचा लत कया गया अथवा कार्यालय के मुख्य खाता के माध्यम से ही कॉशनमनी क धनरा श का रखरखाव कया गया। सोबन संह जीना परिसर अल्मोड़ा एवं ड एस बी परिसर नैनीताल द्वारा काशनमनी खाता से धनरा श रु 90,06,464/- एवं रु 90,41,000/- को साव ध जमा खाता (एफ॰ डी॰ आर॰) को प्रथक रूप से अलग खाता मे रखरखाव कया गया। उक्त परिसरो द्वारा काशनमनी खाता से साव ध जमा पर वगत 3 वर्षो मे क्रमश: रु 14,62,298/- एवं 13,40,885/-

अर्जित ब्याज के रूप मे प्राप्त हुई। उक्त वर्षवार अर्जित ब्याज क धनरा श का उपयोग छात्र कल्याणकारी कार्यो हेतु नही कया जा रहा था, और न ही उक्त बचतों का बचत प्रमाण पत्र संबन्धित अनुमति शक्षा निदेशालय, उच्च शक्षा से ली गयी एवं न ही उक्त एफ़डीआर से अर्जित ब्याज से छात्र कल्याणकारी कार्यो, पुरस्कार वतरण आदि हेतु कोई प्रयास उक्त परिसरो द्वारा कया गया था।

सोबन संह जीना परिसर अल्मोड़ा के कॉशनमनी पंजिका क जांच मे पाया गया क वत्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 मे क्रमश : 3,63,192/- एवं 4,46,148/- का व्यय खाते से कया गया, जिसमे से कुल धनरा श रु 6,56,060/- (वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 हेतु क्रमश रु 3,58,848/- एवं 2,97,212/-) का व्यय सं वदा कर्मचारियों को वेतन एवं बोनस आदि प्रदान कए जाने हेतु कया गया तथा छात्रों को रु 1,04,000/- क कॉशनमनी धनरा श वापस क गयी। इसी प्रकार ड॰एस॰बी॰ परिसर नैनीताल के कॉशनमनी पंजिका मे पाया गया क छात्रों को मात्र रु 18846/- की कॉशनमनी वा पस क गयी तथा धनरा श रु 4,64,800/- का व्यय उपकरण क्रय हेतु , सं वधा क र्मयों को वेतन, बोनस आदि व वध खर्चो पर कया गया।

कुमाऊँ वश्व वद्यालय परिसर भीमताल के कॉशनमनी संबन्धित अ भलेखो क जांच मे पाया गया क मात्र रु 4,00,100/- क कॉशनमनी छात्रों को वा पस क गयी एवं रु 18.31 लाख (रु 86064/- अर्जित ब्याज) क कॉशनमनी जो क वगत वर्षो से बचत के रूप मे पड़ी हुई थी को छात्र कल्याण कार्यो हेतु व्यय नही कया गया। उक्त से स्पष्ट है क उक्त परिसरो द्वारा कॉशनमनी धनरा श को शासनादेश का उल्लंघन कर वेतन/बोनस, उपकरण क्रय आदि पर व्यय कया गया तथा छात्र कल्याण हेतु उक्त धनरा श का व्यय कए जाने मे उदा सनता बरती जाने के कारण धनरा श अ क्रयाशील पड़ी हुई है। साथ ही यह भी पाया गया क सत्र 2017-18 हेतु उक्त परिसरो मे काशनमनी छात्रों से ली जा रही थी, जब क निदेशालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गए है क सत्र 2017-18 हेतु छात्रों से कोई कॉशनमनी क धनरा श वसूल नही क जाएंगी।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे बताया है क छात्रों द्वारा मांग न कए जाने के कारण वापस नही क गयी एवं कॉशनमनी खाते से कोई व्यय नही कया गया, खाते से प्रयोजन के वपरीत अनिय मत आहरण संबन्धित टिप्पणी हेतु इकाई द्वारा भ वष्य मे नोट कया गया। कॉशनमनी खाते से एफ़डीआर संचा लत कए जाने हेतु शासन से अनुमति नही ली गयी एवं छात्र कोश से व्यय करने हेतु इकाई स्तर से कोई प्रबंध स मति गठित नही क गयी साथ ही अर्जित ब्याज कॉशनमनी खाते मे जमा है।

उत्तर मान्य नही है क्यो क कॉशनमनी क रा श छात्रों क प्रतिभूति धनरा श है जिसे अन्य प्रयोजन पर व्यय करने से पूर्व परामर्श स मति की स्वीकृति प्राप्त व्यय कया जाना चाहिए था तथा इकाई द्वारा भी अपने स्तर से छात्रों की धनरा श वापस करने वषयक कोई पहल करने मे रु च नही दिखाई गयी तथा संबन्धित धनरा श का मनमाने ढंग से व्यय करने का प्रकरण पाया गया।

अतः प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग - दो (ब)

प्रस्तर 9:- इकाई द्वारा कॉलेजो को भन्न- भन्न मदों मे प्रदान की गयी अनावर्तक अनुदानों की दिनाक 31/03/2017 को अवशेष धनरा श ₹ 13920127.00 का सम्प्रेक्षा ति थ (12/2017) तक समायोजन न कए जाने एवं इकाई की श थलता के कारण ₹ 4176040.00 के व्याज/राजस्व की सरकार को हानि।

सम्प्रेक्षा द्वारा इकाई के income & expenditure लेखे की जांच मे पाया गया क वगत 06 वर्षो से इकाई द्वारा तुलन पत्र नहीं बनाया जा रहा हैं एवं जांच मे यह भी पाया गया क इकाई द्वारा कॉलेजो को भन्न- भन्न मदों मे प्रदान की गयी अनावर्तक अनुदानों की अवशेष धनरा श ₹ 13920127.00 का दिनाक 31/03/2017 तक कोई भी utilization कॉलेजो द्वारा नहीं कया गया था एवं उक्त अनुदानों की धनरा श के व्यय/प्रयुक्त की बावत कसी भी कॉलेजो द्वारा utilization प्रमाणपत्र कुमाऊँ वश्व वद्यालय को सम्प्रेक्षा ति थ (12/2017) तक उपलब्ध नहीं कराया गया था, जिसके कारण लम्बित पड़ी धनरा श का ववरण निम्नवत हैं -

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनाक	प्रोयजन	दिनाक 31/03/2017 को अवशेष धनरा श(₹) मे
01	123/xxiv(06)/2006/16/03/2006	रोजपरक अध्यन केंद्र के अंतर्गत वकास्नोमुक्त केंद्र के उच्चयन के संबंध मे	192971.00
02	96/उ0 श0/2004-3(22)/2003/17/02/04	वश्व वद्यालय की पुस्तक क्रय हेतु	660334.00
03	179/xxiv(6)/2005	साज-सज्जा फ़र्निचर एवं उपकरण हेतु ।	1839.00
04	872/ सचाई ऊर्जा/10/10/2005	डेवेलोपमेंट मोर्डन शप पर एक दिवसीय से मनार	35157.00
05	222/xxiv(06)2005 /16/03/05	बीफरम्हा मे उपकरण व्यय	15430.00
06	837/xxiv(06)/2005/-	वश्व वद्यालय के लए वर्ष 2005-06 मे प्रोयगशाला	288700.00
07	108/xxiv(06)/2005 /13/02/06	वश्व वद्यालय के वस्तार हेतु भीमताल मे भू म क्रय अनुदान	1549978.50
08	666/xxiv(06) /2005/14/09/06	वश्व वद्यालय के व भन्न वभागो मे कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना ।	120770.00
09	916/xxiv(06)/2006/02/11/2006	वश्व वद्यालय के व भन्न वभागो मे पुस्तक उपकरण तथा फ़र्निचर क्रय	899,219.00
10	617/xxiv(6) /2007/31/12/2017	कुमाऊँ वश्व वद्यालय के व भन्न वभागो मे generals क्रय	545702.00

11	62/xxiv(6) /2008 /17/01/2008	कुमाऊँ वश्व वद्यालय के भूगोल वभाग सुदूर संवेदन एवं भौगो लक सूचना तंत्र	170,228.00
12	52/ xxiv(6) /2008/06/02/08	कुमाऊँ वश्व वद्यालय के एसएस जे0 परिसर अलमोड़ा मे रंगाई पुताई।	1392.00
13	147/ xxiv(6)/2008 /24/03/2008	कुमाऊँ वश्व वद्यालय के एसएस जे0 परिसर अलमोड़ा मे गेस्ट हाउस एवं आउट हाउस निर्माण हेतु	30000.00
14	176/ xxiv(6)/2008 /31/03/2008	कुमाऊँ वश्व वद्यालय के व भनन परिसर मे पाठ्य पुस्तक क्रय के सम्बंध मे	566.00
15	86/ xxiv(6)/2010 /22/02/2010	प्रशासनिक भवन मे हुई तोड़ फोड़ feb/2010 की क्षतिपूर्ति	243,490.00
16	202 / xxiv(6)/2010 /1712/2010	कुमाऊँ वश्व वद्यालय मे scsp योजना के अंतर्गत sc छात्रो का प्र सक्षण	2351.00
17	25(4)12/xxiv(6)/2011	कुमाऊँ वश्व वद्यालय के डीएसबी परिसर मे नैनीताल के औडोटोरियम भवन के निर्माण हेतुअनुदान	1244000.00
18	1335/ xxiv(6)/2016-17/04/01/17	कुमाऊँ वश्व वद्यालय के बायोटेक्नालजी परिसर भीमताल मे अनुसन्धान प्रोयोगशाला भवन के निर्माण के लए	7918000.00
योग			**13920127.50**

इस प्रकार कुमाऊँ वश्व वद्यालय के द्वारा ₹ 13920127.50 की धनरा श का न तो कोई व्यय कया गया है और न ही उक्त धनरा श को शासन को सम र्पत कए जाने के लए कोई प्रयास कया गया, उक्त धनरा श को इकाई द्वारा PLA खाते मे रखा गया हैं। आगे जांच मे पाया गया क उक्त अप्रयुक्त धनरा श ₹ 13920127.50 पर इकाई द्वारा कोई ब्याज भी अर्जन नहीं कया जा रहा था, जिससे शासकीय हानि भी हो रही थी, यदि इकाई द्वारा उक्त धनरा श को समय रहते शासन को वापस कर दिया होता तो 10 से 11 वर्षो मे सरकार को लगभग 3% की साधारण दर से ₹ 417604 .00 *10= ₹ 4176040.00 की धनरा श का व्याज अर्जित होता। इस ओर इन त्रुटियों की बावत सम्प्रेक्षा द्वारा इकाई से पूछने पर इकाई द्वारा उक्त त्रुटियो के संबंध में अपनी आख्या प्रस्तुत की है क धनरा श के समायोजन हेतु शासन से वार्ता चल रही है। जैसे ही शासन से निर्देश प्राप्त होगें उक्त धनरा श के समायोजन करने की कार्यवाही इकाई स्तर से सम्पन्न की जा सकेगी। इस बावत यह भी अवगत कराया गया क PLA खाते मे धनरा श के पड़े रहने के कारण धनरा श का प्रयोजन सुनि श चत नही कया जा सका।

शासन से दिशा निर्देश प्राप्त कये जा रहे है, जैसे ही शासन से दिशानिर्देश प्राप्त हो जायेगें धनरा श के समायोजन के संबंध में कार्यवाही की जायेगी।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही हैं क्यों क इकाई द्वारा शासन से वर्ष 2004 में प्राप्त अनुदान एवं उसके अग्रेतर वर्षो में प्राप्त अनुदानों का समायोजन एवं उनके परियोजन का फुल फलमेंट इकाई स्तर से सम्प्रेक्षा ति थ (12/2017) तक नही कया गया और न ही धनरा श का समर्पण शासन को कया गया। जिससे शासन को उक्त धनरा श पर कोई राजस्व भी प्राप्त नही हुआ न ही कसी अन्य योजना में धनरा श का हस्तान्तरण हो पाया न ही धनरा श का उपयोग हुआ। प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर सं॰ 1:- धनरा श रु 19.94 लाख का अनिय मत क्रय का प्रकरण।

सामान्य वत्तीय नियमावली 2008 के नियम संख्या 147 के अनुसार वभागो को DGS&D द्वारा सामग्री क्रय कए जाने हेतु दर सं वदा कए जाने की अनुमति दी गयी, इसी क्रम मे नियम 141 & 142 के तहत वभागो द्वारा दर सं वदा करते समय निर्दे शत कया गया है क All Ministries or Departments may utilise these lists as and when necessary. Such registered suppliers are prima facie eligible for consideration for procurement of goods through Limited Tender Enquiry." तथा सामान्य वत्तीय नियम 2008 के अनुसार Limited tender enquiry माध्यम से सामग्री का क्रय करते समय कम से कम तीन फार्मो को आमंत्रित कया जाना चाहिय।

कार्यालय कुमाऊँ वश्व वद्यालय, नैनीताल के लेखापरीक्षा अव ध 10/2016 से 12/2017 तक के यू. जी. सी. संबन्धित अ भलेखो की जांच के उपरान्त पाया गया क पत्रांक: केयू/भवन -283/421, दिनांक 04.05.16 द्वारा सीसीटीवी installation हेतु सेंट्रल लाइब्रेरी D.S.B. Campus, Library & S.S.J Campus को धनरा श रु 20.00 लाख प्रदान की गयी, जिसके सापेक्ष रु 19.94 लाख की सीसीटीवी केमरों को तीनों कैम्पस कार्यालयो मे स्था पत कया गया। समस्त सीसीटीवी M/S Fortune Market, Pvt. Limited से rate-contract माध्यम के DGS&D दर पर क्रय कए गए। जांच मे पाया गया क कार्यालय द्वारा सीसीटीवी क्रय करते समय अन्य फ़र्मों को नि वदा हेतु आमंत्रित नही कर, single tendering क गयी। आगे पाया गया क कार्यालय बैठक दिनांक 30.06.16 मे उक्त सामाग्री हेतु Limited tender Enquiry से क्रय कया जाना निर्धारित था, जिस हेतु व भन्न फर्मो से टेंडर डॉक्युमेंट क मांग 3 वर्ष क warranty or guararanty वाली फर्मो से करने क अनुमति के साथ प्रदान क गयी। इसी क्रम मे दिनांक 03.08.16 की बैठक मे केवल Secure Eye Make की सी. स.टी.वी. क्रय करने हेतु अनुमति दी गयी। जांच मे पाया गया क 6 रजिस्टर फ़र्मों के होने के बावजूद वश्व वद्यालय द्वारा सीसीटीवी हेतु कोई टेंडर प्र क्रया नही अपनायी गयी एवं मात्र M/S Fortune Market, Pvt. Limited से ही टेंडर डॉक्युमेंट से डमांड क गयी। साथ ही वश्व वद्यालय द्वारा बिना technical committee के अनुमोदन/ स्वीकृति के secure Eye Make के सीसीटीवी क्रय कए गए। वर्तमान मे संबन्धित सीसीटीवी तीनों परिसरो मे क्रयाशील है परंतु धनरा श उपलब्ध नही होने के कारण उक्त सीसीटीवी के अनुरक्षण हेतु कोई Annual maintenance contract (AMC) नही कया तथा साथ ही वश्व वद्यालय स्तर से धनाभाव के कारण warranty को 12 माह से अ धक extend नही करवाया जा सका।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग ने अपने उत्तर मे बताया क DGS&D rate उपलब्ध होने के उपरान्त Limited Tender Enquiry द्वारा क्रय की प्र क्रया करना अनिवार्य नही है, क्यो क DGS&D मे rate भारत सरकार द्वारा मान्य है, एवं दिनाक 30.06.16 की बैठक के अनुसार tender document हेतु डमांड करने की मांग की गयी थी परंतु आगामी बैठक दिनाक 03.08.16 के अनुसार बैठक की कार्यवाही मे लए गए निर्णयो के आधार पर tender प्र क्रया न कर DGS&D rate द्वारा क्रय की प्र क्रया अपनायी गयी।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत न होने के कारण मान्य नही है क्यो क उक्त नियमानुसार DGS&D rate contract करते समय भी वत्तीय नियमावली के तहत टेंडर प्र क्रया अपनायी जानी थी परन्तु फार्मो से प्रतिस्पर्धा दर प्राप्त नही कए जाने के कारण शासकीय हित मे उपकरण की गुणवत्ता, अ धकतम वारंटी अव ध तथा निर्धारित अव ध के लए फार्म द्वारा दी जाने वाली मुक्त ए॰ एम॰ सी॰ का लाभ प्राप्त नही कया जा सका, साथ ही वश्व वद्यालय द्वारा कोई टेक्निकल committee गठित कए बिना मनमाने ढंग से secure eye make के सीसीटीवी क्रय कए गए जो की केवल एक ही फर्म के पास थे।

अतः प्रकरण सज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 2:- वभागीय उदा सनता के कारण शासकीय धनरा श रु 13.67 लाख का अवरोधन एवं समर्पण नही कया जाना।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा पत्रांक 17/उच्च शक्षा/2003-3(22)2002 दिनांक 22.01.2003 द्वारा कुमाऊँ वश्व वद्यालय, नैनीताल को प्रदेश के वश्व वद्यालयो, इंजीनियरिंग कालेजो तथा निजी स्व वत्त पो षत संस्थाओं मे चल रहे एम॰बी॰ ए॰ तथा एम॰सी॰ए॰ पाठ्यक्रमों मे प्रवेश हेतु परीक्षा आयोजित करने हेतु अ धकृत कया गया था, जिसके अनुक्रम मे शासन के पत्रांक 310/उच्च शक्षा /2003 दिनांक 24.04.2003 एवं पत्रांक 227/उच्च शक्षा /2004 दिनांक 26.03.2004 द्वारा क्रमशः धनरा श रु 16.20 लाख एवं 9.91 लाख अर्थात कुल रु 26.11 लाख की धनरा श की वत्तीय स्वीकृत प्रदान की गयी। उत्तराखंड शासन द्वारा धनरा श क स्वीकृति वास्त वक धनरा श क गणना परीक्षा सम्पन्न होने के उपरांत कए जाने पर व्यय व प्राप्त आय के आधार पर करने तथा वश्व वद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित कराये जाने मे पूर्ण मतव्ययिता बरतने क शर्तो पर क गयी थी। प्रवेश परीक्षा हेतु ब्रोसर का मूल्य सभी के लए रु 500/- निर्धारित कया गया था।

कार्यालय के वत्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के वा र्षक लेखो (cash Flow Statement) की जांच के दौरान पाया गया क कुमाऊँ वश्व वद्यालय नैनीताल को यू ए जेट -2003 परीक्षा (उत्तराखण्ड संयुक्त प्रवेश परीक्षा -2003) मद का प्रारम्भिक अवशेष दिनाक 01.04.2014 को रु 11,69,404/- पाया गया एवं वर्तमान मे अवशेष रु 13,67,063/- पाया गया अर्थात वगत तीन वर्षो मे रु 1,99,659/- ब्याज के रूप मे अर्जित हुआ। कार्यालय के यू.ए.जेट -2003 परीक्षा संबन्धित अ भलेखो क जांच मे पाया गया क परीक्षा के आयोजन पर वभाग/वश्व वद्यालय को कुल आय 63.21 लाख हुई थी, जब क उसका वास्त वक व्यय रु 16.61 लाख पाया गया। अतः धनरा श रु 46,59,970/- की बचत वश्व वद्यालय को हुई, चूं क संबन्धित धनरा श वश्व वद्यालय क आय नही थी इस लए व भन्न संस्थानो मे प्रवेश पाने वाले छात्रों से लए गए शुल्क रु 53,80,000/- को संबन्धित संस्थानो को वापस कया गया तथा शेष धनरा श रु 9.91 लाख क अतिरिक्त अनुदान क मांग शासन से क गयी। संबन्धित परीक्षा वश्व वद्यालय स्तर से केवल एक बार वर्ष-2003 मे दिनांक 15.06.2003 को आयोजित क गयी, जब क वर्तमान मे संबन्धित परीक्षा के आयोजन हेतु रु 13.67 लाख (दिनांक 15.12.17 तक) पड़ी हुई थी। शासन द्वारा उक्त परीक्षा हेतु कुल रु 26.11 लाख क धनरा श स्वीकृत क गयी थी जिसके सापेक्ष वास्त वक व्यय रु 16.61 लाख पाया गया है अतः शेष धनरा श रु 9.50 लाख की शासकीय धनरा श जो क वर्तमान मे 13.67 लाख (ब्याज सहित) शासन को वापस/सम र्पत नही क गयी और न ही उक्त धनरा श का उपयोग पुनः यू ए जेट परीक्षा के आयोजन हेतु कया गया है। अतः धनरा श रु 13.67 लाख की शासकीय धनरा श अवरुद्द अवस्था मे पड़ी हुई है।

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग ने तथ्यो एवं आकड़ों क पुष्टि करते हुये उत्तर दिया क अवशेष धनरा श के सापेक्ष कोई क्रयाकलाप आयोजित नही कया गया एवं पत्रांक केयू/लेखा -806/2005 दिनाक 30.01.2006 द्वारा प्रस्ताव भेजा गया परंतु वर्तमान तक कोई कार्यवाही नही हुई है।

उत्तर मान्य नही है क्यों क वश्व वद्यालय के उत्तर से यह स्पष्ट है क वर्तमान मे संबन्धित धनरा श वगत 12 वर्षो से अ क्रयशील है एवं उक्त धनरा श शासन को सम र्पत नही क गयी और न ही संबन्धित परीक्षा के आयोजन हेतु कोई प्रयास वश्व वद्यालय द्वारा कया गया।

अतः प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर 3:- धनरा श रु 187.90 लाख व्ययावर्तन (**Diversion**) का प्रकरण पाया जाना।

रूसा के घटक संख्या 03, 05, व 07 के अंतर्गत कसी भी दशा मे भारत सरकार द्वारा वश्व वद्यालय तथा महा वद्यालय को अनुमन्य अनुदान मे व्यय हेतु व भन्न मदों के लए निर्धारित सीमाओ निर्माण कार्य (35%), पुननिर्माण व उच्चीकरण (35%) एवं नई सु वधाओ (30%) से अ धक व्यय नही कया जाएगा।

शासनादेश संख्या 2203/xxiv(7)/2016-52(2)/15, दिनाक 23 जनवरी 2016 द्वारा वत्तीय वर्ष 2015-16 मे रूसा के अंतर्गत कुमाऊ वश्व वद्यालय के कार्यो हेतु रु 502.10 लाख (स वल कार्य हेतु रु 314.20 लाख + अ धप्राप्ति कार्यो हेतु रु 187.90 लाख) की वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी जिसके तहत कार्यदायी संस्था उ॰ प्र॰ राजकीय निर्माण निगम हल्द्वानी को प्रथम कस्त रु 125.00 लाख तथा द् वतीय कस्त रु 377.10 लाख जारी कया गया। अ भलेखो की जांच मे पाया गया क उक्त लगत से कार्यदायी संस्था द्वारा प्रथम नवीनीकरण के कार्य तथा द् वतीय नये कार्य कराने का निर्णय लया गया, जिसमे नवीनीकरण के कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा निष्पादित कराये गए तथा नये कार्य अवरुद्ध पाये गए। इस प्रकार शासनादेश मे स्वीकृत अ धप्राप्ति क रा श भी स वल कार्य मे सम्मि लत कर अ धप्राप्ति क जगह नवीनीकरण का कार्य निष्पादित कराया गया।

इस संबंध मे पुछे जाने पर इकाई द्वरा उत्तर दिया गया क निर्माण एजेंसी द्वारा पुननिर्माण कार्य करवाए गए है, नव निर्माण कार्यो पर मा॰ उच्च न्यायालय क रोक के कारण कार्य बा धत है।

उत्तर तर्कसंगत नही पाया गया क्यों क स वल कार्यो के लए शासन द्वारा रु 314.20 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, परंतु नवीनीकरण तथा नये कार्य के लए समस्त धनरा श रु 502.10 लाख निर्माण एजेंसी को अवमुक्त कर दी गयी।

अतः व्ययावर्तन का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 4:- **32** माह से धनरा श **18.33** लाख के वाहनों को निष्प्रयोज्य घो षत व नीलामी नहीं कया जाना।

शासनादेश सं0 2747/टी/30-4-97-24 के एम/76 दिनांक 04/10/1997 तथा शासनादेश सं0 3817/36-4-24 के एम/86 दिनांक 31/10/1986 द्वारा सरकारी वाहनों को निष्प्रयोज्य घो षत कये जाने तथा नीलामी कये जाने संबंधी निर्देश दिए गये हैं कार्यालय, वत्त अ धकारी कुमाऊ वश्व वद्यलय, नैनीताल में उपलब्ध वाहनों संबं धत अ भलेखों की जाँच में पाया गया की कार्मयालय में वर्ष 2004 से वर्ष 2008 तक कुल 04 वाहन खरीदे गये थे जिनका ववरण निम्नवत् हैः-

क्र0सं0	वाहन	पंजी सं0	वाहन क्रय वर्ष	कुल तय की गयी दूरी (लाख क0मी0) में	तय मापदंडो से अ धक	
					तय दूरी	तय समय
1.	ट्रक	UA04B8402	2005	3.5	02.0	05 वर्ष
2.	अम्बेसडर	UA04B9423	2008	1.88	0.38	02 वर्ष
3.	अम्बेसडर	UA04A0020	2008	2.22	0.72	02 वर्ष
4.	जिप्सी	UA04A9722	2004	6.00	04.50	06 वर्ष

उपरोक्त सभी वाहन शासनादेश सं0 3817/36-4-24 के एम/86 दिनांक 31/10/1986 में तय मापदंडो को पूरा कर चुके हैं।

आगे पाया गया क कार्यालय के पत्रांक सं0/स्टोर/2014-15 दिनांक 15/10/2014 तथा पत्रांक सं0/स्टोर/2015/मेमो दिनांक 15/04/2015 द्वारा वाहन सं0 UA04B9423 व UA04B8402 निष्प्रयोज्य घो षत करने हेतु सम्भागीय परिवहन अ धकारी कुमाऊ क्षेत्र कुसुमखेड़ा हल्द्वानी को पत्राचार कया गया था जिस उपरान्त माह 04/2015 से लेखापरीक्षा ति थ तक (कुल 32 माह) कोई कार्यवाही नहीं पाई गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगति कये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया क सभी वाहन अब प्रोयग में नहीं लाये जाते हैं तथा वाहनों को निष्प्रोज्य घो षत कये जाने की कार्यवाही चल रही है।

उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया इकाई द्वारा उपरोक्त सभी वाहनों को निष्प्रोज्य घो षत तथा नीलामी कये जाने का कार्य 32 माह से पूर्ण नहीं हो पाया जिससे वाहनों की नीलामी के न्यूनतम मूल्य का ह्रास होने के कारण यह एक शासकीय हानि है।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 5:- सातवे वेतन आयोग के अनुसार त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण फलस्वरूप **₹ 43,176/-** का अ धक भुगतान।

कार्यालय वत्त अ धकारी, कुमाऊँ वश्व वद्यालय, नैनीताल की लेखापरीक्षा (अव ध 10/2016 से 12/2017) में अ भलेखों की जाँच के दौरान डी0बी0एस0 परिसर में कार्यरत श्री जगदीश चन्द्र पाठक (प्रयो सहा) की सेवा-पुस्तिका की जाँच की गयी जिसमें शासनदेश सं0 299/VXXII(7)/(16)/2016 दिनांक 30 दिसम्बर 2016 के अनुसार दिनांक 01/01/2016 से सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करते हुए उक्त कर्मचारी की वेतनमान गणना सातवें वेतन आयोग के अनुसार निम्न प्रकार से की गयी हैः-

दिनांक 31.12.2015 में वद्यमान वेतन बैंड	9300-34800
दिनांक 31.12.2015 में वद्यमान ग्रेड वेतन	4600
दिनांक 31.12.2015 में वद्यमान मूल वेतन	16600
दिनांक 31.12.2015 में वद्यमान कुल वेतन	21200
7वें वेतानायोग के अनुसार 2.57 के फटमेंट से गुणा करने पर	55484
मेट्रिक्स में पुर्न कत वेतनमान	56,900
दिनांक 01.01.2016 को वेतन मेट्रिक्स में मूल वेतन	56,900
वेतन वृद् ध दिनांक 01.01.2016 को वेतन	58,600

उक्त ता लका से स्पष्ट है क उक्त कर्मचारी का वेतन निर्धारण दिनांक 01.01.2016 को 58600/- कया गया।

लेखापरीक्षा की जाँच में पाया गया क श्री जगदीश चन्द्र पाठक (प्रयो0सहा0) की सेवा-पुस्तिका में 31.12.2015 को वेतनमान (ग्रेड वेतन 4600+ मुल वेतन 16600)=212000 पाया गया। कर्मचारी द्वारा वेतन वृद् ध हेतु माह जनवरी 2016 को अगली वेतन वृद् ध हेतु चयन कया गया। लेखापरीक्षा की जाँच के दौरान ये देखा गया क उक्त कर्मचारी के मूलवेतन 21200/- (सेवापुस्तिका के अनुसार मूल वेतन 16600+ ग्रेड वेतन 4600=21200/-) को सातवें वेतन आयोग के अनुसार फटमेंट 2057 से गुणा करने पर वेतन 55,484 के अनुसार मेट्रिक्स में लेवल-07 में 56,900 पर स्था पत कया गया। जब क सातवे वेतन आगोय के अनुसार फटमेंट 2057 से गुणा करने पर वेतन 54,484 के अनुसार मेट्रिक्स में लेवल-07 में 55,200 पर स्था पत कया जाना चाहिए था।

इस प्रकार क्त कर्मचारी को 01/2016 से 12/2017 तक वेतन एवं भत्तो पर संबं धत कर्मचारी को ₹ 43176/- का अ धक भुगतान कया गया। (ववरण संलग्न)

लेखापरीक्षा द्वारा इंगति कए जाने पर वभाग दवारा तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया है। क उक्त कर्मचारी के वेतन निर्धारण की वस्तृत जाँच करने के उपरान्त अपना अ भमत प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

उत्तर संतोषजनक न होने के कारण मान्य नहीं है तथा प्रकरण पुनः समीक्षा हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

अतः गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप ₹ 43176/- का अनिय मत भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

Due & Drawn Statement in Shri Jagdeesh Chander Pathak

Pay Drawn				Pay Due			Diff	Excess Amount Drawn
Period	**Pay**	**DA**	**Total**	**Pay**	**DA**	**Total**		
01/16 to 06/16	58600	0.00	58600	56900	0.00	56900	1700	₹ 10200
07/16 to 12/16	58600	1172	59772	56900	1138	58038	1734	₹ 10404
01/17 to 06/17	60400	2416	62816	58600	23.44	60944	1872	₹ 11232
07/17 to 12/17	60400	3020	63420	58600	2930	61530	1890	₹ 11340
							TOTAL	**₹ 43,176/-**

STAN

प्रस्तर 6:- फर्नीचर मद मे ₹ 223190.00 की धनरा श का अनिय मत क्रय एवं ₹ 2.43 लाख का व्ययावर्तन **(diversion)** का पाया जाना ।

उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियमावली -2008 की धारा 3(10) के अनुसार निम्नतम दरो का लाभ प्राप्त करने के लए यथा शीघ्र अ धकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अ धप्राप्ति का प्रयास कया जाना चाहिए। अ धप्राप्ति मूल्य कम करने के लए आवश्यक मात्रा को वभाजित या छोटे-छोटे टुकड़ो मे वभक्त नहीं करना चाहिए, और न ही कुल आवश्यकता को आंक लत मूल्य के संदर्भ मे अपे क्षत उच्चतर प्रा धकारियो की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लए छोटे-छोटे भागो मे वभक्त करना चाहिए। इकाई द्वारा संचा लत फर्नीचर मद की लनदेन से संबन्धित निम्न बिल एवं वाउचर की संप्रेक्षा द्वारा जांच की गयी जिसमे अनिय मतताये प्रकाश मे आयी हैं-

क्र0 सं0	वर्ष	मद	परिसर का नाम	वाउचर नंबर/दिनाक	इन्वाइस न**o**/दिनाक	फ़र्म का नाम	धनरा श
01	2016-17	फ़र्निचर	कुमाऊँ वश्व वद्यालय	3521/07/01/17	2802/04/08/2016	जे0जे0 एंटरप्राइज़	9000.00
02	2016-17	फ़र्निचर	कुमाऊँ वश्व वद्यालय	3520/07/01/17	2813/12/08/16	जे0जे0 एंटरप्राइज़	29940.00
03	2016-17	फ़र्निचर	कुमाऊँ वश्व वद्यालय	3622/30/01/17	2801/12/08/16	जे0जे0 एंटरप्राइज़	9000.00
04	2016-17	फ़र्निचर	कुमाऊँ वश्व वद्यालय	2936/22/03/17	-	जे0जे0 एंटरप्राइज़	18240.00
05	2017-18	फ़र्निचर	कुमाऊँ वश्व वद्यालय	2953/21/06/17	-	जे0जे0 एंटरप्राइज़	13740.00
06	2017-18	फ़र्निचर	कुमाऊँ वश्व वद्यालय	2952/18/05/17	-	जे0जे0 एंटरप्राइज़	9000.00
07	2017-18	फ़र्निचर	कुमाऊँ वश्व वद्यालय	2951/16/05/17	-	जे0जे0 एंटरप्राइज़	9000.00
08	2017-18	फ़र्निचर	कुमाऊँ वश्व वद्यालय	3018/30/06/17	-	जे0जे0 एंटरप्राइज़	49700.00
09	2017-18	फ़र्निचर	कुमाऊँ वश्व वद्यालय	3011/30/06/17	-	जे0जे0 एंटरप्राइज़	11850.00
10	2017-18	फ़र्निचर	कुमाऊँ वश्व वद्यालय	3033/30/06/17	-	जे0जे0 एंटरप्राइज़	10400.00
11	2017-18	फ़र्निचर	कुमाऊँ वश्व वद्यालय	3014/30/06/17	-	जे0जे0 एंटरप्राइज़	27000.00
12	2017-18	फ़र्निचर	कुमाऊँ वश्व वद्यालय	2954/21/06/17	-	जे0जे0 एंटरप्राइज़	26320.00
योग							**₹ 223,190.00**

उपरोक्त आकड़ों के वशलेषण से स्पष्ट हैं क उच्चतर प्रा धकारियो की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लए छोटे-छोटे भागो मे वभक्त करते हुए बहुत कम अंतराल मे क्रय प्र क्रया अपनायी गयी, जब क नियमानुसार एक ही प्रकार की सामग्री हेतु एकमुस्त रूप से बिलो के भुगतान हेतु कोटेशन /नि वदा प्रणाली अपनानी चाहिए थी । लेखा परीक्षा जांच मे यह भी पाया गया की इकाई द्वारा फ़र्म को समस्त भुगतान चेक से कए जा

रहे' थे, जब क शासनादेश संख्या-03/xxvii(06)/2013 दिनाक-02/01/13 के बिन्दु संख्या-4.9 मे स्पस्ट निर्देश दिये गए हें क वभागो मे ई-पेमेंट प्र क्रया अपनाई जानी चाहिए। बिलो की संप्रेक्षा जांच मे यह भी पाया गया की जे0जे0 enterprises फ़र्म द्वारा फ़र्निचर मद के बिलो मे 5% की दर से ₹ 11160.00 की धनरा श का वैट भी नहीं जोड़ा गया, जो प्राप्ति अ धनियम का उल्लंघन था। इकाई को 12th प्लान मे वर्ष 2014-15 मे भारत सरकार द्वारा रूसा स्कीम के अंतर्गत ₹ 13.31 करोड़ की धनरा श स्वीकृत की गयी थी, जिसके अंतर्गत establishment of the office of controller of examination को ₹ 32873537.00 की धनरा श जारी करने की संस्तुती की गयी थी एवं जिसके सापेक्ष कुमाऊँ वश्व वद्यालय को पत्रांक संख्या-केयू/तकनीकी/49 दिनाक-17/02/16 द्वारा रूसा के अंतर्गत 125 लाख की धनरा श अवमुक्त की गयी थी, आगे जांच मे पाया गया क उक्त आवंटित धनरा श से ₹ 2.43 लाख का बिना भारत सरकार की अनुमति लए व्ययावर्तन **(diversion)** करते हुए कुमाऊँ वश्व वद्यालय द्वारा फ़र्निचर मद मे व्यय कर दिया गया जो वत्ततीय नियमो का घोर उलंघन था। संप्रेक्षा ति थ(12/2017) तक ₹ 243575.00 की धनरा श के समायोजन की कार्यवाही का प्रकरण (रूसा की धनरा श को भारत सरकार को वापस करना) इकाई स्तर पर लम्बित था । साथ ही फ़र्निचर मद के बिलो के भुगतान मे 5% की दर से ₹ 243575.00 की धनरा श के सापेक्ष बिलो मे ₹ 12179.00 वैट की धनरा श को जोड़ा नहीं गया था ।

इस संबंध मे सम्प्रेक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे कहा गया क फर्नीचर मद मे आवश्यकता के अनुसार ही व्यय कया गया था। इकाई का उत्तर लेखा परीक्षा मे स्वीकार्य नहीं क्यो क इकाई द्वारा उच्चतर प्रा धकारियो की संस्वीकृति से बचने के लए मद को टुकड़ो मे भुगतान कर अ धप्राप्ति नियमो का उलंघन कया गया साथ ही भारत सरकार की अनुमति लए बिना रूसा की ₹ 243575.00 की धनरा श का diversion का प्रकरण पाया गया। प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हें ।

भाग-**III**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	स्टेन
94/2016-17	--	1,2,3,4,5,6	
142/2014-15	1,2	1,2,3,4	1,2

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
94/2016-17	भाग दो- (ब) 1,2,3,4,5,6	इकाई द्वारा आख्या निर्धारित प्रारूप में तैयार कर निस्तारण हेतु उ चत माध्यम से प्रे षत करने की बात कही गयी।		
142/2014-15	1,2,3,4 स्टेन 1,2 भाग दो- (अ) 1,2			

भाग-IV

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु वत्त अ धकारी कुमाऊँ वश्व वद्यालय, (नैनीताल) तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

   शून्य
3. सतत् अनिय मतताएं

   शून्य
4. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अव ध
1.	डॉ डी0एस0 वोगाल	वत्त अ धकारी	04/2014 से 09/2016
2.	श्रीमती अनीता आर्य	वत्त अ धकारी	10/2016 से अब तक

(5) लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति वत्त अ धकारी कुमाऊँ वश्व वद्यालय, (नैनीताल) को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.